पीएम-किसान सम्मान निधि योजना

पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है और पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में **1.82 लाख करोड़ रुपए** की राशि जारी की गई है।

पीएम-किसान:

- **परिचय:**
  - इसे **24 फरवरी, 2019** को भूमिधारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये शुरू किया गया था।
- **वित्तीय लाभ:**
  - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में **तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित** किया जाता है।
- **योजना का दायरा:**
  - यह योजना शुरू में उन **छोटे एवं सीमांत किसानों (SMFs)** के लिये थी, जिनके पास **2 हेक्टेयर** तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस **योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को कवर** हेतु बढ़ा दिया गया।
- **वित्तपोषण और कार्यान्वयन:**
  - यह भारत सरकार द्वारा **100% वित्तपोषण के साथ एक** केंद्र प्रायोजित योजना है।
  - इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य प्रत्येक **फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित** करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी **छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा** करना है।
  - इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिये उन्हें **साहूकारों के चंगुल से बचाना** तथा खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- **PM-KISAN मोबाइल एप:** इसे **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के सहयोग से **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया है।
- **भौतिक सत्यापन मॉड्यूल:** योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष **अनिवार्य रूप से 5% लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन** किया जाता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-kisan-samman-nidhi-yojana